मप्र के धार्मिक स्थलों का होगा कायाकल्प, सिंहस्थ के तहत होगा विकास

- 84 महादेवों का होगा दिव्य पुनरुद्धार
- एकीकृत विकास का मास्टर प्लान तैयार
- पर्यटन को मिलेगा बूस्ट, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई बैठक

नवभारत न्यूज

उज्जैन. आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देते हुए, सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई पर्यवेक्षण समिति की छठवीं बैठक में मध्य प्रदेश के कई महत्वपूर्ण धार्मिक और पौराणिक स्थलों के विकास कार्यों की कार्ययोजनाओं को मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर बुलाई गई इस बैठक का मुख्य केंद्र सिंहस्थ आयोजन के लिए नवीन प्रस्तावित कार्य रहे, जिनका उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएँ और अनुभव प्रदान करना है।मेला अधिकारी श्री सिंह ने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर, सिंहस्थ के विभिन्न आयामों पर चर्चा की और आवश्यकतानुसार अन्य कार्यों की कार्ययोजना शीघ्र तैयार कर शासन के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

84 महादेव का उन्नयन–उज्जैन के 84 महादेव मंदिर सहित प्रमुख तीर्थों का एकीकृत विकास बैठक में उज्जैन के पौराणिक 84 महादेव मंदिरों के उन्नयन और विकास की कार्ययोजना पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसकी अनुशंसा की गई है.

प्रमुख मंदिर सूचीबद्ध

प्रदेशभर के जैन मंदिरों का विकास होगा उसमें उज्जैन के प्रमुख मंदिरों को भी शामिल किया गया है, हरसिद्धि एवं भूखी माता मंदिरों का एकीकृत विकास शनि मंदिर, नारायण धाम, सांदीपनि आश्रम, सिद्धवट घाट, गढ़कालिका मंदिर परिसर, चिंतामण गणेश मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, और कालभैरव मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास कार्यों की योजना को भी हरी झंडी दी गई.

क्षेत्रीय विस्तार का खाका

ओंकारेश्वर, महेश्वर और अन्य जिलों के धार्मिक स्थल भी शामिल किए जा रहे है. यह योजना केवल उज्जैन तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जिलों के महत्वपूर्ण तीर्थों को भी शामिल किया गया है, जो सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे. श्री ओंकारेश्वर मंदिर परिसर का विकास कार्य, महेश्वर जालेश्वर महादेव, कालेश्वर महादेव और चिंतामणि गणेश मंदिर के कार्य, देवास में देवी लोक निर्माण कार्य और नीमच में श्री भादवा माता मंदिर परिसर विकास कार्य प्रमुख है.

ये रहे मौजूद–बैठक में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कूमट, यूडीए सीईओ संदीप सोनी, स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवा सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. मेला अधिकारी श्री सिंह ने सभी विभागों को प्रगतिरत कार्यों को समय सीमा में, गुणवत्ता पूर्वक और मापदंडों के अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सिंहस्थ 2028 के लिए समय पर सभी आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार की जा सके.

प्रदेश में मौसम ने बदला मिजाज, शामें हुईं ठंडी

बड़वानी और अलीराजपुर में बारिश की संभावना

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 24 अक्टूबर. मप्र में खरगोन, बड़वानी, अली राजपुर, धार, छिंदवाड़ा सहित जिलों में शनिवार को बारिश के आसार बने रहेंगे. इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी है. मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

पिछले 24 घंटो के दौरान उज्जैन, रीवा, सागर संभाग के जिलों में कुछ स्थानो पर वर्षा दर्ज की गई. उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, दमोह सहित जिलों में मौसम शुष्क बना रहा. सभी संभागों के जिलों में अधिकतम तापमानों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ. मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटो में, अधिकतम तापमान शहडोल संभाग के जिलों में तापमान 3.0 तक रहा.

न्यूनतम तापमानों में सभी संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ. इंदौर, चंबल संभागों के जिलों में सामान्य से 2.3एष्ट अधिक रहे. भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में सामान्य से 3.2एष्ट - 4.5एष्ट तक काफी अधिक रहा.

लोकायुक्त जांच में ग्वालियर का लॉकर मिला खाली

- मामला पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया का

इंदौर. लोकायुक्त इंदौर की जांच में घिरे पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. एएसपी लोकायुक्त राजेश सहाय ने बताया कि ग्वालियर स्थित उनके बैंक लॉकर को शुक्रवार को उनकी उपस्थिति में खोला गया, जिसमें कोई संपत्ति नहीं मिली. वहीं, इंदौर में शेष बैंक लॉकरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके पुत्र सूर्यांश और पुत्री अपूर्वा को नोटिस जारी किया है.

लोकायुक्त के अनुसार, ग्वालियर का लॉकर काफी समय से उपयोग में नहीं था और उसमें कोई सामग्री नहीं मिली. इसके साथ ही, मीडिया सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जांच में धर्मेंद्र भदौरिया और उनके परिवार के खिलाफ लगभग 25 करोड़ की संपत्ति का पता चला है. इसमें 1.13 करोड़ नकद, 4.22 किलो सोना, 7.13 किलो चाँदी, 5.32 लाख बैंक जमा, 27.5 लाख निवेश और 2.87 करोड़ फिल्म उद्योग में निवेश शामिल हैं. इसके अलावा उनके परिवार के नाम कई संपत्तियां और महंगी गाड़ियां भी पाई गई हैं. मामले में लोकायुक्त पुलिस की जांच जारी है. वहीं एएसपी राजेश सहाय ने पुष्टि की है कि लॉकरों की जांच और संपत्ति सत्यापन की प्रक्रिया लगातार चल रही है और जल्द ही और विवरण साझा किया जाएगा. भदौरिया के इंदौर स्थित ठिकानों और लॉकरों की जांच 15 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी, जिसमें करोड़ों की चल-अचल संपत्ति, दस्तावेज और आभूषणों की बरामदगी की गई थी. लोकायुक्त दल अब इंदौर स्थित सभी लॉकर और अन्य संपत्तियों की जांच कर रहा है. उनका कहना है कि जांच की जा रही है, सभी बैंक खातों एवं संपत्तियों की जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़

भिंड. जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 12 अवैध हथियार, तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बनाने का सामान भी पुलिस द्वारा जप्त किया गया है. इसके साथ ही अवैध हथियार बेचने और खरीदने वालों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अवैध हथियार बनाने वाला मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, जिस पर पुलिस द्वारा दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक डॉ असित यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बरोही थाना प्रभारी अतुल भदौरिया को 21 अक्टूबर को सूचना प्राप्त हुई थी के अमलहड़ी गांव के तिराहे पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अवैध हथियार बेचने के लिए खड़ा हुआ है। जब सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तो होंडा शाइन मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति बैग टांगे हुए खड़ा था जिसको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उसके बैग से एक 32 बोर का देसी कट्टा, 315 बोर के तीन देसी कट्टे एवं तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह अपने तीन अन्य साथियों के साथ रूपावही गांव में ही अवैध हथियार बनवाने का काम करता है, जिन्हें स्थानीय लोगों को ही खपाया जाता है। आरोपियों द्वारा ग्रामीण किसान से 20 हजार रुपये प्रति माह में जगह ली गई थी साथ ही 50 हजार रुपये प्रति माह में उत्तर प्रदेश के किशनी से अवैध हथियार बनाने वाला कारीगर बुलवाया गया था। आरोपियों द्वारा बताया गया कि वह उत्तर प्रदेश के इटावा मैनपुरी और एटा जिलों से फुटकर में अवैध हथियार बनाने का सामान खरीदते थे। उनके द्वारा 19 सितंबर को अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री शुरू की गई और अभी तक कुल 22 देसी कट्टे बनाए गए जिनमें से साथ देसी कट्टे अलग-अलग लोगों को आरोपियों द्वारा बेचे गए पुलिस द्वारा अवैध हथियार खरीदने वाले तीन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है साथ ही अन्य लोगों की तलाश की जा रही है बताया जा रहा है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60